RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

ई–मेल : coldstorage@satyam.net.in **वेबसाइट :** http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 28 फरवरी, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 9

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

शीतगृहों में भण्डारण अभी शुरू नहीं हो पाया है, आशा है कि जब तक पत्रिका आपके पास पहुँचेगी भण्डारण बहुत धूमधाम से हो रहा होगा। फरवरी, 2013 माह में भारी वर्षा ने आलू की फसल को काफी परेशान कर दिया, यद्यपि उद्यान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्षा से आलू की फसल को विशेष नुकसान नहीं पहुँचा है और यदि नुकसान को आंका जाये तो 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। कुछ लोगों का तो कहना है कि वर्षा से आलू का वजन और बढ़ गया है जबकि किसानों की माने तो उनके अनुसार आलू की फसल को काफी नुकसान पहुँचा है। सच्चाई क्या है यह तो दस दिन बाद सामने आनी शुरू हो जायेगी।

इस समय आलू के भाव बढ़े हुए है जिसका एक कारण वर्षा के कारण आलू की खुदाई में देरी भी माना जा रहा है न कि आलू के उत्पादन में कमी। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण अधिक हानि हुई हो परन्तु सम्पूर्ण भारत में इस वर्ष आलू का उत्पादन गत वर्ष से 25

प्रतिशत तक अधिक आंका जा रहा है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे देश की आलू की माँग को देखकर आलू की कोई कमी नहीं होगी।

हम शीतगृहस्वामियों को सलाह देना चाहेंगे कि आलू पर लोन बहुत सोच समझ कर दें। इस समय की आलू की तेजी पर न जाये। हो सकता है कि शीतगृहों में भण्डारण पूरा हो जाने के बाद आलू के भाव गिर जाए। चूँकि आलू की उपलब्धता पूरी मात्रा में है आलू के रेट उठने में बहुत समय लग जाये या आलू फँस जाए।

बिजली सम्बन्धी :

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली के नये रेट निकाल दिए हैं जो कि 1.10.2012 से लागू हैं परन्तु उच्च न्यायालय में दायर मुकदमों के कारण आशा की जाती है कि यह दरें पहली नवम्बर, 2012 से लागू होंगी। एल.एम.वी. 6, एच.वी.2 की नई दरें इस प्रकार हैं।

Rate Schedule LMV-6 : Small and Medium Power :

(A) Consumers getting supply other than Rural Schedule :

Consumption Range	Fixed Charge	Energy Charge	Minimum Charge
For all Consumption	Rs. 225.00/kW/month	Rs. 5.85/kWh	Rs. 500/kW/month

TOD Rates (% of Energy Charges) :

22:00 hrs – 06:00 hrs	(–) 7.5%
06:00 hrs – 17:00 hrs	0%
17:00 hrs – 22:00 hrs	(+) 15%

(B) Consumers getting supply as per Rural Schedule :

The consumer under this category shall be entitled to a rebate of 15% on demand & energy charges as given for under urban schedule without TOD rates.

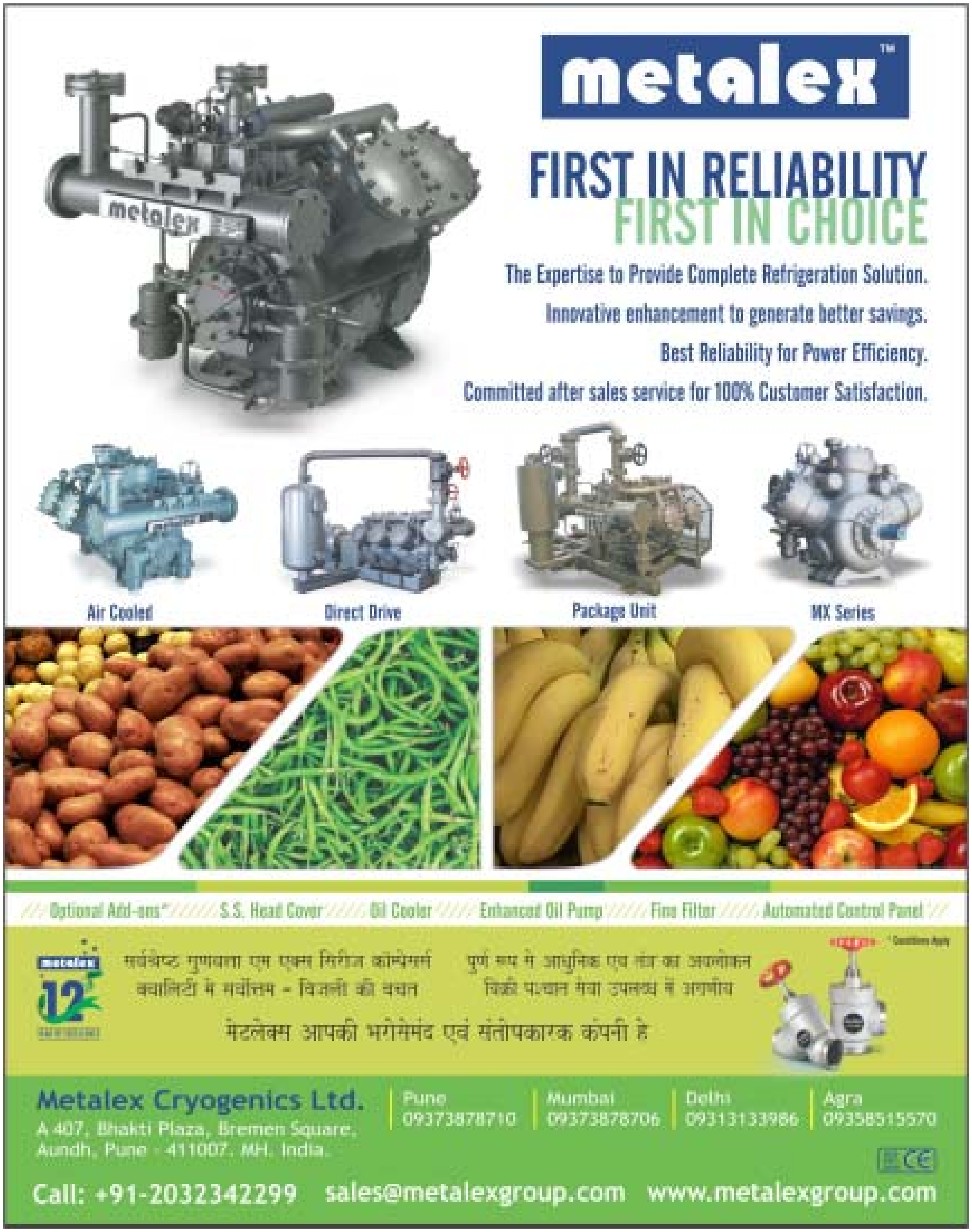
metalex
FIRST IN RELIABILITY
FIRST IN CHOICE
The Expertise to Provide Complete Refrigeration Solution.
Innovative enhancement to generate better savings.
Best Reliability for Power Efficiency.
Committed after sales service for 100% Customer Satisfaction.
Air Cooled
Direct Drive
Package Unit
MX Series
Optional Add-ons* S.S. Head Cover Oil Cooler Enhanced Oil Pump Fine Filter Automated Control Panel
सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता एम एक्स सिरीज कॉम्प्रेसर्स
क्वालिटी में सर्वोत्तम - बिजली की बचत
मेटलेक्स आपकी भरोसेमंद एवं संतोषकारक कंपनी है
Metalex Cryogenics Ltd.
A 407, Bhakti Plaza, Bremen Square,
Aundh, Pune - 411007. MH. India.
Pune 09373878710
Mumbai 09373878706
Delhi 09313133986
Agra 09358515570
Call: +91-2032342299 sales@metalexgroup.com www.metalexgroup.com

Now in
UTTAR PRADESH
CROSS
CROSS SPARES PVT LTD
AN ISO 9001 : 2008 COMPANY
Vinayaka Chambers, 10 A Hospital Street, Room No. 110, 1st Floor, Kolkata - 700 072, India
www.crossindia.com
OEM SPARES
GOOD QUALITY
HIGH PRICE
CROSS SPARES
GOOD QUALITY AS SAME AS
OEM SPARES AND LOW PRICE
LOCAL SPARES
LOW PRICE BUT
LOW QUALITY
CROSS SPARES ARE INTERCHANGEABLE WITH ALL HIGH SPEED COMPRESSOR SPARES
(KIRLOSKAR , METALAX , SRA , SABROE , COLT, ETC)
More than 60% of Cold Storages, Ice Factories, Fisheries & other Refrigeration Industries in Eastern India uses Cross Spares
Always Check for
Cross Hologram
Authorised Dealer
Narang Refrigeration Sales
F - 13/87, Har Govind Dayal Bhawan, Opp. Old RTO Office, Latush Road, Lucknow - 226 001
Phone : 94150 90157 / 2683377 / 96960 99905, Email : narangref@gmail.com

Rate Schedule HV-2

(A) Urban Schedule :

	For supply at 11 kV	For supply above 11 kV and upto & including 66 kV	For supply above 66 kV and upto & including 132 kV	For supply above 132 kV
BASE RATE				
Demand Charges	Rs. 250/kVA/ month	Rs. 240/kVA/ month	Rs. 220/kVA/ month	Rs. 220/kVA/ month
Energy Charges	Rs. 5.90/kVAh	Rs. 5.60/kVAh	Rs. 5.40/kVAh	Rs. 5.20/kVAh
TOD RATE				
22:00 hrs–17:00 hrs	(–) 7.5%	(–) 7.5%	(–) 7.5%	(–) 7.5%
06:00 hrs–17:00 hrs	0%	0%	0%	0%
17:00 hrs–22:00 hrs	(+) 15%	(+) 15%	(+) 15%	(+) 15%

(B) Rural Schedule :

This schedule shall be applicable only to consumers getting supply upto 11 kV as per 'Rural Schedule'. The consumer under this category shall be entitled to a rebate of 15% on demand & energy charges as given for 11 kV consumers under urban schedule without TOD rates.

(C) Consumers already existing under HV-2 category with metering arrangement at low voltage :

Existing consumer under HV-2 with metering at 0.4 kV shall be required to pay as per schedule applicable to 11 kV consumers under HV-2 category.

शीतगृहस्वामी विशेष रूप से ध्यान रखें कि अधिकांश शीतगृह मार्च माह में ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं। अतः वह लोड फैक्टर रीबेट के हकदार बन जाते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो अपने sanctioned लोड के अर्न्तगत 396 यूनिट प्रति kvah से अधिक का खर्च एक माह में कर

लेते हैं तो वह अधिक खर्च पर 7.5% Rebate के हकदार बन जाते हैं। इसी तरह मात्रा 504 kVAh प्रति kVA प्रति माह तक जाती है। इसको सही समझने के लिए इसको हम यहाँ एल.एम.वी. 6 और एच.वी.2 के उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर रीवेट की टेबल (table) प्रस्तुत कर रहे हैं। यह Rebate उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन पर बकाया बाकी है। इसका नियम भी नीचे दिया है :—

6. Load Factor Rebate for LMV-6 :

For any excess consumption over the defined kVAh per KVA (of maximum demand recorded) as defined in the table below, a graded rebate is provided on the energy charges for such excess consumption. This rebate will be available on monthly basis and will be given to the consumer for each slab.

Description	Rebate on Energy charges
For all consumption over 288 kVAh per kVA up to 432 kVAh per kVA per month.	7.5% on the consumption over 288 kVAh/ kVA / month and up to 432 kVAh / kVA / month
For all consumption over 432 kVAh per kVA up to 504 kVAh per kVA per month.	7.5% as applicable in first slab plus 10% on the consumption over 432 kVAh/ kVA / month and up to 504 kVAh / kVA / month
For all consumption in excess of 504 kVAh per kVA per month.	7.5% as applicable in first slab plus 10% as applicable in second slab plus 20% on the consumption over 504 kVAh/ kVA / month

Note : Consumer with arrears shall not be eligible for above rebate. In case the consumer has obtained an order of stay from a court or any other statutory authority, the amount of load factor rebate for which the consumer is eligible in respect of the amount of the bill shall be calculated and the same shall accrue to the account of the consumer. However, the actual credit thereof shall not be given to the consumer in his monthly bill until the case relating to the dispute regarding arrear is finally decided by the competent court / statutory authority. This condition is applicable for HV-2 also.

5. Load Factor Rebate for HV-2 :

For any excess consumption over the defined kVAh per KVA (of maximum demand recorded) as defined in the table below, a graded rebate is provided on the energy charges for such excess consumption. This rebate will be available on monthly basis and will be given to the consumer for each slab.

Description	Rebate on Energy charges
For all consumption over 396 kVAh per kVA up to 432 kVAh per kVA per month.	7.5% on the consumption over 396 kVAh/ kVA / month and up to 432 kVAh / kVA / month
For all consumption over 432 kVAh per kVA up to 504 kVAh per kVA / month.	7.5% as applicable in first slab plus 10% on the consumption over 432 kVAh/ kVA / kVA up to 504 kVAh / kVA per month
For all consumption in excess of 504 kVAh per kVA per month.	7.5% as applicable in first slab plus 10% as applicable in second slab plus 20% on the consumption over 504 kVAh/ kVA / month

आलू विकास नीति :

उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में, आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आलू नीति बना रही हैं जिसमें मुख्यतः किसानों को आलू का बीज उपलब्ध कराना, शीतगृहों को नियमों के अन्तर्गत संचालन करवाना, उत्पादित आलू की गुणवत्ता को नियमित करना आदि विषय मुख्य हैं। शीतगृह से सम्बन्धित दो बिन्दु हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं साथ में कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सुझाव भी प्रस्तुत हैं।

रणनीति :

- निजी शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ.प्र. शीतगृह (विनियमन) अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेटरी एक्ट–2007 के अनुसार शीतगृहों को एक्रीडिटेशन हेतु प्रोत्साहित करना और वेयर हाउसिंग रिसीट सिस्टम लागू कराना।

- प्रदेश एवं देश के बाहर आलू विपणन/निर्यात हेतु ढांचागत सुविधाओं के विकास, कृषकों/निर्यातकों को प्रशिक्षण, परिवहन भाड़े पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना।
- आलू उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सिलेन्स फॉर पोटैटो/आलू अनुसंधान केन्द्र/नये बीज उत्पादन केन्द्र की स्थापना कराना।

प्राथमिकता के क्षेत्र :

- निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन तथा आलू उत्पादक बाहुल्य क्षेत्रों में प्रसंस्करण योग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना।
- नवीन तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का समावेश करते हुए आलू की उत्पादकता बढ़ाये जाने के साथ–साथ गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
- आलू की खेती में श्रम लागत को कम करने तथा आटोमेशन को बढ़ावा देना सिंचाई की स्प्रिंकलर पद्धति को प्रोत्साहित किया जाना।
- शीतगृहों को सुचारू रूप से संचालित कराते हुए बीज आलू, भोज्य आलू एवं प्रसंस्करण हेतु आलू के भण्डारण की समुचित व्यवस्था कराया जाना।
- विभिन्न स्तरों पर विपणन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करके आलू उत्पादकों को अधिकतम लाभ दिलाया जाना।

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये सुझाव व हमारे सुझावों पर सरकारी टिप्पणी भी यहाँ दी है :

- बहुउद्देशीय/बहुकक्षीय शीतगृहों की स्थापना सफल सिद्ध नहीं हो रही है क्योंकि आलू के अतिरिक्त भण्डारण हेतु कोई पदार्थ नहीं मिलता। बड़े शहरों में भूमि की कीमत अधिक होने से नए शीतगृहों का स्थापना सम्भव नहीं है। (भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। यदि कोई उद्यमी स्वयं के संसाधनों से आलू आधारित कोल्ड स्टोर का निर्माण कराता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है।)
- शीतगृहों के सुनियोजित संचालन हेतु उ.प्र. शीतगृह विनियमन अधिनियम, 1976 एवं नियमावली में सुधार की आवश्यकता है। इसमें आलू सड़ने का बीमा, आग बुझाने के संयंत्र की परिभाषा, आलू खराब होने पर दिये जाने वाले क्लेम की प्रक्रिया, आलू (प्रस्तावित नीति में समावेशित है)।
- आलू विपणन/निर्यात पर परिवहन भाड़े में अनुदान की व्यवस्था ऐसी हो, जिसे भण्डारणकर्ता व खरीदने वाला व्यापारी दोनों ले सकें। अनुदान की वर्तमान व्यवस्था जटिल है, जिसमें इसका लाभ कोई सही व्यक्ति नहीं ले पाता। (प्रस्तावित नीति में समावेशित है)।

SUPERFREEZE
Acclaimed name in
REFRIGERATION EQUIPMENT INDUSTRY
SRA-SERIES
Refrigeration Compressors Single & Double Stage
Air Cooling Units
Solenoid Valves
Stop Valves
Float Switch
Inline Check Valves
Electronic Liquid Level Controller
Weld-in Line Stop Valves
Digital Temperature Indicator
WIDEST RANGE OF REFRIGERATION VALVES
Energy Efficient • Optimum Cooling • Compact
SUPERFREEZE INDIA LIMITED
An ISO 9001:2000 Certified Company
36/7, Village Sankhol, Delhi-Rohtak Road, Bahadurgarh -124507 (Haryana), India
Tel: +91-1276-241449, +91-1276-241450, +91-9313517675
Fax: +91-1276-241549 | E-mail: sales@superfreeze.com | Website: www.superfreeze.com
For Your Requirement Contact
M/S National Engineering Corp.
Agra: +91-562-2345568, +91-9837053678
Hapur: +91-122-2312024
Delhi: +91-11-23264001
M/S S. K. Trading Co.
Varanasi: +91-9935551063, +91-9450015276

- उत्तर प्रदेश शीतगृह विनियमन अधिनियम 1976 की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारियों को प्रतिनिधि प्राधिकार से लाइसेंस नवीनीकरण में नए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण माँगा जाता है और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए हर वर्ष बिल्डिंग की सुदृढ़ता प्रमाण–पत्र माँगना युक्तियुक्त नहीं है इसे 5 या 10 वर्ष बाद दिया जाना उचित होगा। (एक्ट एवं नियमावली को अधिक तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाना समाविष्ट है)।
- शीतगृहों को प्रदूषण नियंत्रण मुक्त किया जाए। जनरेटर एक साधारण ट्रक से कम प्रदूषण करते है और ये बिजली उपलब्ध न होने पर ही उपयोग किये जाते हैं। वर्ष के 4 महीने तो पूरी तरह बन्द रहते हैं अतएव क्या वर्ष भर की फीस जमा कर देने भर से प्रदूषण मुक्त हो जाते हैं? (प्रस्तावित नीति का बिन्दु नहीं है)।
- बाजार हस्तक्षेप योजना की घोषणा सरकार द्वारा समय रहते कर देनी चाहिए। (स्वीकार्य है, प्रदेश सरकार का प्रयास रहता है कि समय से भारत सरकार को योजना प्रस्तुत कर दी जाये)।
- शीतगृह स्थापना के लिए वर्तमान में उपलब्ध 120 लाख का अनुदान कम है। (अनुदान की सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित है)।
- शीतगृहों को गृहकर व जलकर के लिए वाणिज्यिक के बजाए औद्योगिक संस्थान माना जाये। (प्रस्तावित नीति का बिन्दु नहीं है)।

कोल्ड स्टोरेज की आमद रसीद के सम्बन्ध में :

हमें अनेक शीतगृहों से आलू भण्डारण करने के बाद भण्डारणकर्ता को दी जाने वाली पक्की रसीद के बारे में जानकारी चाही है।

यह रसीद अत्यन्त आवश्यक होती है और इसीलिए हम यहाँ पुनः प्रकाशित कर रहे है। जब शीतगृह में आलू आता है उसी के साथ यह रसीद यानी कि पहुँच एक निश्चित रूप से पत्र पर देना अनिवार्य होता है। यदि माल का मालिक न आया हो तो जो भी माल लाया हो उससे यह लिखवा लें कि मालधनी के न होने की वजह से रसीद नहीं दी गई।

उत्तर प्रदेश सरकार

कृषि – अनुभाग–4

संख्या 2030/बारह–4–411 (13)–76 लखनऊ, 19 मई, 1987

अधिसूचना

पं.आ.–405

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 (उ.प्र. अधिनियम संख्या 11 सन् 1976) की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

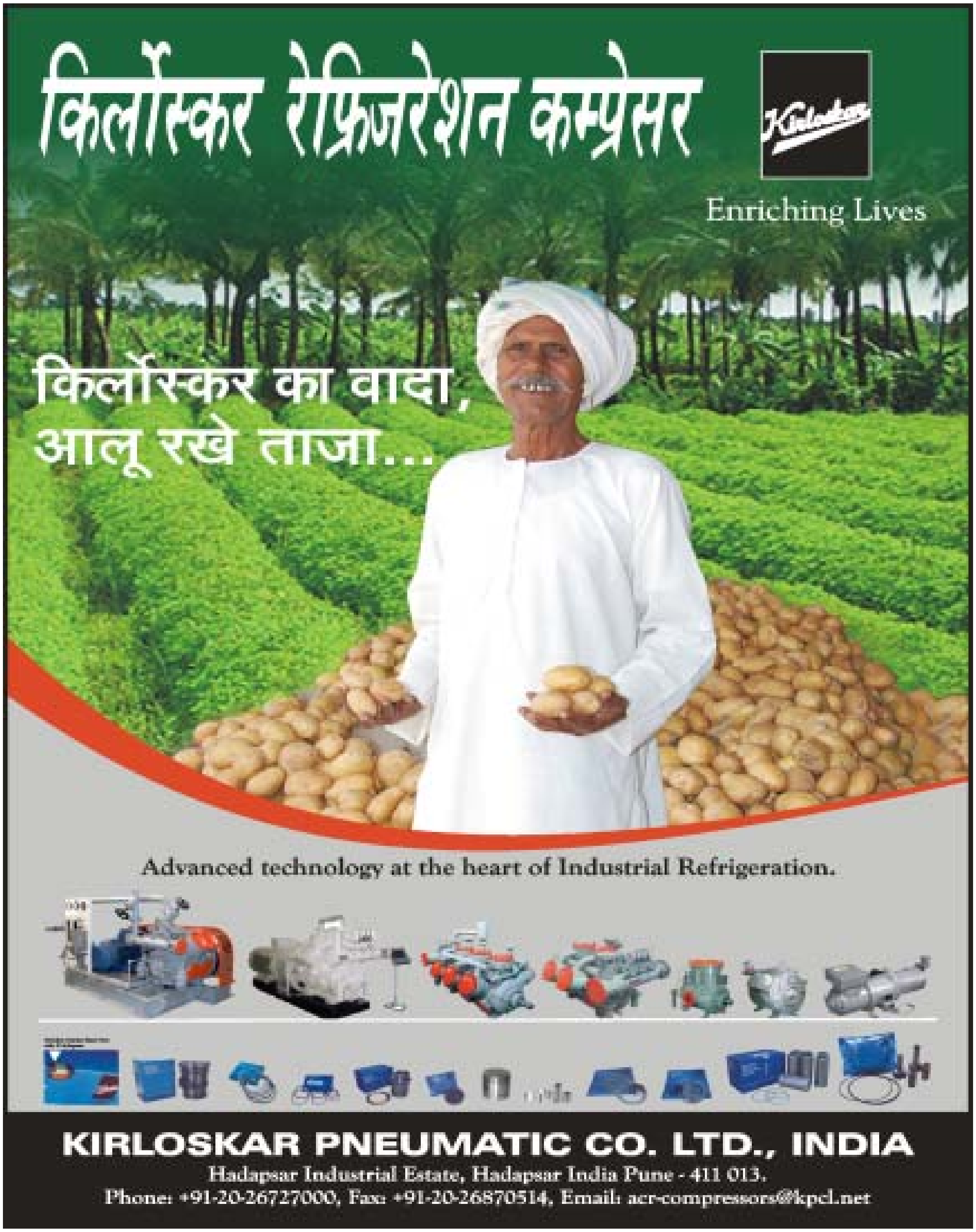
किर्लोस्कर रेफ्रिजरेशन कम्प्रेसर
Kirloskar
Enriching Lives
किर्लोस्कर का वादा,
आलू रखे ताजा...
Advanced technology at the heart of Industrial Refrigeration.
KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., INDIA
Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar India Pune - 411 013.
Phone: +91-20-26727000, Fax: +91-20-26870514, Email: acr-compressors@kpcl.net

CHILL
• कोल्ड स्टोरेज डोर •
• केला पकाने का स्टोर •
• कूलिंग युनिट (कण्डेन्सर / एवेपोरेटर) •
• कोल्ड स्टोरेज इन्सूलेटड पैनल •
युरोप के कोल्ड स्टोरेज डोर
केला / आम या अन्य फल पकाने का स्टोर
कूलिंग युनिट कण्डेन्सर / एवेपोरेटर
आपका व्यापार बढ़ाने के लिए संपर्क करें :-
MAHARAJA
MAHARAJA POLYURETHANE PVT. LTD.
31, RANI JHANSI ROAD, NEW DELHI - 110055
E-mail : vsingh@maharajapolyurethane.com
Website : www.maharajapolyurethane.com
Mobile : 9810017875

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : यह नियमावली उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1987 कहलायेगी।

   (2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. धारा 15 का रखा जाना (धारा 32) : 2–उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन (लाइसेन्स देना) नियमावली, 1976 में जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियत रख दिया जायेगा अर्थात :–

   लाइसेन्सधारी का रसीद जारी करने का दायित्व 15–प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के लिये प्रपत्र संख्या 7 में रसीद जारी करेगा।

3. धारा 32 के अधीन प्राप्ति का प्रपत्र संख्या 7 : मूल नियमावली में प्रपत्र संख्या 6 के पश्चात् निम्नलिखित नया प्रपत्र संख्या रख दिया जायेगा अर्थात् :–

फार्म संख्या –

फार्म संख्या – 7
कोल्ड स्टोरेज रसीद

क्रम–संख्या

कोल्ड स्टोरेज का नाम तथा स्थान

कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स संख्या

किरायादाता/जमाकर्ता का नाम व पता

कृषि उत्पाद जिसका ब्योरा निम्नलिखित है प्राप्त हुये

नाम व पता	वर्ग अथवा किस्म	मानक अथवा श्रेणी	प्रकिटों अथवा ढेरियों की संख्या	भार अथवा माप इत्यादि के आधार पर शुद्ध परिमाण (कि.ग्रा. में)

1. भण्डारण की तिथि :–
2. कृषि उत्पाद की दशा :–

   1. उत्तम
   2. किंचित न्यून उत्तम
   3. स्टोर करने की दर :–

4. कृषि उत्पाद से स्टोरेज करने के लिये स्वीकार किये जाते हैं।
5. स्टोर करने के समय कृषि उत्पाद बाजार की दर :–
6. यह रसीद उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की जा रही है।

दिनांक	किरायादाता / जमाकर्ता अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान	लाइसेंसधारी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता का हस्ताक्षर आज्ञा से **रवि मोहन सेठी** सचिव

विदेश यात्रा के सम्बन्ध में :

इजराइल (Israel) में जो कि अरब देशों के पास एक देश है इस वर्ष 11 / 12 जून को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कृषि मेला लग रहा है जिसमें शीतगृहों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहाँ के शीतगृहों में मिलने वाली सुविधाए व काम आने वाली मशीनों आदि के सम्बन्ध में जानने के लिए इजराइल (Israel) जाने का विचार बनाया जा रहा है। यह दौरा 4 रात 5 दिन का होगा और इसमें अनुमानतः 80,000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्च आने का अनुमान है।

यदि आप इस यात्रा में जाना चाहते हों तो हमें तुरन्त लिख भेजें। हम टूर की पूरी डिटेल यहाँ दे रहे हैं।

आपका स्वीकृति पत्र हमें 15 मार्च, 2013 तक अवश्य मिल जाना चाहिए। इस टूर में हमने 2 दिन Exhibition व Cold Storage Study के लिए रखे हैं व 2 दिन इजराइल (Israel) घूमने के लिये। अतः हमें आशा है कि यह टूर काफी आकर्षक रहेगा। हमारे द्वारा दिए गये खर्च का अनुमान कम से कम 15 व्यक्तियों के ग्रुप को लेकर है।

Special Package of FRESH AGRO MASHOV 2013 for Federation of Cold Storage Associations of India

DATE	Package 01:- 04 Night / 05 Days
10-June.	Depart India / Arrive Tel Aviv Visit the Old City of Jerusalem. Visit the Via Dolorosa and Old Jewish Quarter including the Western Wall. If time permits, we shall visit Bethlehem and the Church of the Nativity
11-June.	Visit fresh Agro Mashov 2013
12-June.	Drive to Judean Desert Area to The Dead Sea. Visit Kibbutz Naan. After breakfast, drive across the Judean. Desert area to the Dead Sea region which is 410 meters below the sea level - the Lowest point on Earth. Time to float on the mineral rich waters of the Dead Sea. Enjoy mudpacks and body packs which leave the skin smooth beyond imagination. We will then proceed to visit the Caves of Qumran. Afternoon will proceed later to Kibutz Kalia or to kibutz Almog to visit the Irrigation system and the Palm trees. Return to Jerusalem for Dinner and overnight.

13-June.	Visit Kibbutz Afek. Visit Cold Storage And Packaging Facilities. Later see Cold storage facilities for preserving and export of fruits and vegetables.
14-June.	Depart Tel Aviv / Arrive India
Price	Based on Tal Hotel, Tel Aviv - an Atlas Hotel 04*
Twin Sharing	**INR 49500 + USD 740 USD 450**

TOUR PRICE INCLUDES

- Economy Class return group Air Fare on Turkish Airline or similar.
- Airport Taxes, YQ Taxes and Fuel Surcharge as charged on the air ticket.
- Accommodation at Well appointed 4* hotels as per given Options.
- Return airport - hotel - Airport group transfers.
- Daily buffet Breakfast.
- Daily Indian Dinners.
- Daily Fairground group transfers as per itinerary.
- Israel visa Charges.
- City tour of Jerusalem.
- 01 day Study tour on cold storage and packaging technology
- 01 day tour to Dead Sea, Kibbutz naan, Caves of Quarman & Irrigation system. (pkg. 02)
- Cost of Overseas Mediclaim Policy up to the age limit of 55 years only.
- Services of local tour guide.
- Services of Cox & Kings Tour Manager.

Attractive Cox & Kings Travel bag

शीतगृह विवादों में अपील सम्बन्धी सुविधाः

हमसे तमाम शीतगृहों से शीतगृह ट्राइब्यूनल (Tribunal) के बारे मे जानकारी माँगी गई है।

शीतगृहों के खिलाफ अनेक प्रकार के केस न्यायलय में दायर किए गए हैं। इनमें मुख्यतः जिला अधिकारियों के दफ्तर में लगाए गए हैं जो कि आलू सड़ने पर compensation पर आधारित होते है। ध्यान रहे कि जिला अधिकारी ही उस जनपद का शीतगृह लाइसेन्ससिंग अधिकारी होता है, इसी कारण शिकायतकर्ता को जिला अधिकारी पर अपनी शिकायत ले जानी होती है। यदि शीतगृह या भण्डारणकर्ता उनके निर्णय से असन्तुष्ट रहता है तो कोल्ड स्टोरेज एक्ट धारा 36 के आधार पर ट्राइब्यूनल (Tribunal) यानी अधिकरण में अपील कर सकते हैं। अधिकरण के अधिकार धारा 35 व 36 के अनुसार इस प्रकार हैं।

अधिकरण

35. एक अधिकरण होगा जिसमे निम्नलिखित सदस्य होगे, अर्थात :–

(क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार, जो सभापति होगा।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी या उनके द्वारा नाम – निर्दिष्ट उनके विभाग का कोई अधिकारी जो संयुक्त विधि परामर्शी के पद से नीचे का न हो।

(ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उनके द्वारा उस विभाग का नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

36. धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने या धारा 14 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विपयक लाइसेन्स अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा प्रदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीन दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अधिकारण की बैठकें लखनऊ में ही होगी। अभी तक यह कार्यालय उद्यान भवन, सप्रू मार्ग, लखनऊ में है। ट्राइब्यूनल के रूल विस्तार से जानने के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं।

शीतगृहों में हुए खराब माल के निस्तारण के सम्बन्ध में :

अनेक शीतगृह कोल्ड स्टोर में खराब माल के निस्तारण के बारे में नियम को जानना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा 17 को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें यह नियम पूरी तरह दिया है

17. (1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जा लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की सम्भावना हो, या किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए माल को रसीद में उसके लिए विनिर्दिष्ट दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर न उठायें तो लाइसेन्सधारी किरायादाता को तुरन्त उसको नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक् रूप से उन्माचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा।

(2) जहां किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किए जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करें वहाँ लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिकवा सकता है।

परन्तु लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व देगा और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

शेष पृष्ठ 20 पर

SUPER MAINI
ISO 9001 : 2008
SUPER
COOLING UNIT
AIR CURTAIN
SOLENOID VALVE
MONO BLOCK VERTICAL AGITATOR
BRINE AGITATOR
ANGLE VALVE
GLOBE VALVE
LIQUID VALVE
REFLAX VALVE
PIPE FITTINGS
COMPRESSOR SPARES
आइस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, कैमीकल प्लान्ट, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, इंडस्ट्रीयल एयर कंडीशनींग प्लान्ट, फीशरी प्लान्ट, आदि के लिए उपयुक्त
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-
सुपर मैनी एंटरप्राइजिस
दुकान न: 106, पहली मंजिल, सी० एस सी०,
डी० डी० ए० मार्किट, स्टेट बैंक नगर,
नजदीक मीरा बाग चौक, आउटर रिंग रोड,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063
फोन : 91-11-25269432 टैलीफैक्स : 91-11-25251225
मोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
ई-मेल : info@supermaini.com
उत्तर प्रदेश एरिया डीलर्स-
• मैसर्स एमपी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
फोन : 0522-2286660, मोबाइल : 98390 12465
• मैसर्स अल-आजाद रेफ्रिजरेशन (कानपुर)
मोबाइल : 9336118558, 9415405572
• मैसर्स एस एल एण्ड सन्स रेफ्रिजरेशन (मुरादाबाद)
फोन : 0591-2361306, मोबाइल : 9412493581, 9411037978
• मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
मोबाइल : 9412261344, 9837774099

नई टेलीफोन डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि हम हर 2 वर्ष बाद शीतगृहों की डायरेक्ट्री छापते हैं जिसमें शीतगृह सम्बन्धी जानकारियाँ दी जाती है।

सभी सभी शीतगृहों से निम्नलिखित फार्म पर जानकारियाँ एकत्रित कर रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि नीचे दिये गये फार्म को भर के हमें शीघ्रातिशीघ्र वापस भेज दें। यदि आप अपना फोटो भी छपवाना चाहते हैं तो फोटो भी भेजें। कृपया यह ध्यान रखे की फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जिससे डायरेक्ट्री में छपने के बाद चेहरा साफ नजर जाए। आप अपना ई–मेल पता अवश्य भेजें क्योंकि आगे भविष्य में हमारे लिए डाक से पत्र व्यवहार करना बहुत कठिन होता जा रहा है। बहुत सी सूचनाएँ जो हमारे सदस्यों को शीघ्र मिल जानी चाहिए नहीं मिल पाती। अतः ऐसी सूचनाओं का लाभ केवल उन सदस्यों को ही मिल पायेगा जिसके ई–मेल पते हमारे पास होंगे।

डायरेक्ट्री 2011

फोटो के पीछे अपना नाम व शीतगृह का नाम लिख दें।

1. शीतगृह का नाम : ....

   ....
2. शीतगृह का पता : ....

   ....
3. वह पता जिस पर पत्र व्यवहार चाहते हों : ....

   ....
4. शीतगृह की क्षमता कुन्तल में :..
5. कृषि उत्पाद जो भण्डारित करते हों : ....

   ....
6. एस.टी.डी. कोड / टेलीफोन नम्बर / मोबाइल नम्बर :..
7. ई–मेल पता : ....
8. मुख्य सम्पर्क व्यक्ति का नाम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर / पार्टनर / मैनेजर आदि ....

   ....

   ....

Since 1967, India's leading & trusted house of refrigeration equipment & spare parts
Equipments as per NHB Norms
SUPER
Name Matches Performance
Refrigeration Cast
Iron and Weld in line Valves
Spare Parts
Super Refrigeration (India) Pvt. Ltd.
Regd. Office : WH-62, Mayapuri Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110064 (INDIA)
Phone : +91 11 45595079, 45683942, Fax : +91 11 45595079
E-mail : info@superrefrigeration.com
Web. : www.ammonia-refrigeration-equipments.com, www.supervalve.net
www.indiamart.com/superrefrigeration
We also Undertake Complete Turnkey Projects in Refrigeration & Project Consultancies

स्पष्टीकरण : सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि की इस धारा के अन्तर्गत खराब होना समझा जायेगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो जिसे लाइसेन्स अधिकारी समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाये तो लाइसेन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा।

गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन अहमदाबाद की वार्षिक मीटिंग :

दिनांक 9 फरवरी, 2013 को गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने अहमदाबाद में अपनी वार्षिक मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में बहुत बड़ी सख्या में शीतगृहस्वामियों ने हिस्सा लिया साथ ही नामी मशीनरी निर्माता व शीतगृह सम्बन्धी अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माता भी इस मीटिंग में आए। मीटिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से अयोजित की गई थी। इसके लिए श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष और सेकेट्री, श्री गनपत कछुआ, ज्वाइंट सेकेट्री, श्री भरत खूबचन्दानी बधाई के पात्र हैं। यहाँ ध्यान रहे कि वर्ष 2012 में गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन को सर्वश्रेष्ठ प्रदेशीय एसोसिएशन चलाने का पुरस्कार दिया गया है।

विद्युत सम्बन्धी बिजली के फिर से रेट बढ़ाने की चेतावनी :

कृपया आज दिनांक 23.2.2013 में छपी खबर The Times of India की ओर ध्यान दें जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिजली के रेट पुनः शीघ्र 90 पैसे से 1 रूपए प्रति यूनिट बढ़ने की पूरी सम्भवाना है। आशा की जा रही है कि अगले माह तक जनता से राय माँगने की औपचारिकता पूरी कर ली जायेगी और उसके दो महीने के बाद विद्युत रेट बढ़ जाने की आशा व्यक्त की जा रही है। हमारे अनुमान से नए रेट जून माह तक आ जाने चाहिए।

सेवा में, Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित